

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा वाद के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है। मूल वाद का निस्तारण हो जाने से हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार विचारण न्यायालय में मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 के विरुद्ध पेश की गई है जो प्रभावहीन हो चुकी है। लिहाजा अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर